



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1933 (श0)
(सं0 पटना 159) पटना, सोमवार, 2 मई 2011

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं

21 अप्रील 2011

सं0 I/एम1- 206/2006-1220—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-09 की उप-धारा-(1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार राज्य की बन्द चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने या उनके स्थान पर नये उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार/बिहार राज्य चीनी निगम लि0 द्वारा निष्पादित पट्टा दस्तावेजों के निबंधन पर देय स्टाम्प शुल्क का 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) परिहार करने की कृपा करते हैं।

2. यदि संबंधित पक्षकार लीज में विनिर्दिष्ट अपेक्षित न्यूनतम निवेश करने में असफल रहता है तो वैसी स्थिति में दी गयी छूट की राशि 15 प्रतिशत (पन्द्रह प्रतिशत) वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

3. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

21 अप्रील 2011

सं० I/एम1-206/2006-1220—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 21st April 2011

No. I/M1- 206/2006-1220—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section-(1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to remit 100 percent (hundred percent) stamp fee payable for registration of lease deeds executed by the State Government/Bihar State Sugar corporation Ltd. for the purpose of reviving closed Sugar Mills or establishing new units in place of them in the state.

2. In case the concerned party fails to make the investment as mentioned in the lease documents, the amount of remission shall be recovered as land revenue, with 15 percent yearly interest.

3. It will come into force with immediate effect.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 159-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1933 (श0)
(सं0 पटना 158) पटना, सोमवार, 2 मई 2011

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं

21 अप्रील 2011

सं0 I/एम1-206/2006-1221—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार राज्य की बन्द चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने या उनके स्थान पर नये उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार/बिहार राज्य चीनी निगम लि0 द्वारा निष्पादित पट्टा दस्तावेजों के निबंधन पर देय निबंधन शुल्क का 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) परिहार करने की कृपा करते हैं।

2. यदि संबंधित पक्षकार लीज में विनिर्दिष्ट अपेक्षित न्यूनतम निवेश करने में असफल रहता है तो वैसी स्थिति में दी गयी छूट की राशि 15 प्रतिशत (पन्द्रह प्रतिशत) वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

3. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

21 अप्रील 2011

सं० I/एम1-206/2006-1221—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 21st April 2011

No. I/M1- 206/2006-1221—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to remit 100 percent (hundred percent) registration fee payable for registration of lease deeds executed by the State Government/Bihar State Sugar corporation Ltd. for the purpose of reviving closed Sugar Mills or establishing new units in place of them in the state.

2. In case the concerned party fails to make the investment as mentioned in the lease documents, the amount of remission shall be recovered as land revenue, with 15 percent yearly interest.

3. It will come into force with immediate effect.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 158-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>